अपील सूचना अधिकार संख्या 93/2017 अनवानी चंद सिंह पुत्र दारा सिंह जाति मजबी सिख, निवासी राजपुरा, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब बनाम तहसीलदार, सूरतगढ

31–01–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री चंद सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री चंद सिंह का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.11.2017 के द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति दिलाई जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री चंद सिंह ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उसके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 15.11.2017 से चाही गई सूचनांए उपलब्ध न करवाये जाने के कारण तहसीलदार, सूरतगढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी श्री चंद सिंह ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.11.2017 के द्वारा निम्न सूचनांए चाही थीः–

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी के पिता दारा सिंह पुत्र श्री माही सिंह, जाति मजहबी सिख साकिन गांव भैरूपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान को खसरा न0 241 में 30.00 बीघा बारानी भूमि टी.सी. आवंटन शुदा थी। यह कि प्रार्थी अब उक्त कृषि भूमि का रिकार्ड लेना चाहता है। यह कि इस आवंटन शुदा कृषि भूमि जो कि ए.एस.आई. ताराचन्द ने जांच की थी जिसका रिकार्ड भी प्रार्थी लेना चाहता है जो कि विभाग के नियमानुसार जारी फरमाया जावें। यह कि प्रार्थी ने पहले भी दो बार इस रिकार्ड बाबत श्रीमान कलैक्टर महोदय श्रीगंगानगर राज0 को लिखा था जिस पर अभी तक कोई भी सुनवाई नही की गई है। जिला कलैक्टर महोदय ने जो 2010 में उक्त भूमि बाबत जो भी कार्यवाही की गई उसका भी रिकार्ड प्रार्थी लेना चाहता है।

अतः दर0 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो रिकार्ड है वह विभाग के नियमानुसार जारी फरमाया जावें।

अपीलार्थी के अपीलपत्र एवं आवेदन पत्र की प्रतियां तहसीलदार, सूरतगढ़ को पत्र संख्या 2168 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा भिजवाई जाकर संबंधित रिकार्ड एवं टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिखा गया था जो उनके द्वारा प्रस्तुत नही की गई है।

अपीलार्थी श्री चंद सिंह के उक्त आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया कि उसके द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार, सूरतगढ़ को निदेशित किया जाता है कि भविष्य में अपील का उत्तर निर्धारित तारीख पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्हें यह भी हिदायत की जाती है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर